न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 409/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 टीलसिंह 2 सुरतानसिंह पिसरान जबरसिंह 3 भीखो पत्नी जबरसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर।		1 आसूसिंह पुत्र खीमसिंह 2 चम्पाकंवर पत्नी खीमसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री प्रेमसिंह राजपुरोहित, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 14/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करनपुरा पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के राजस्व नक्शा नम्बर 295 (मूल) विभक्त खसरा संख्या 2384/295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2383/295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर काश्तकारों का कब्जा काश्त है। भौतिक कब्जे के अनुरूप तरमीम न होकर राजस्व नक्शे में गलत तरमीम अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर कर दी गई। मूल खसरा संख्या 295 रकबा 1.1979 हैक्टेयर अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से मौके पर कब्जा काष्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर बाद सुनवाई तहसीलदार बाडमेर के आदेष क्रमांक भू. अ./2022/04 दिनांक 20.06.2022 को बंटवांड़ा किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 2384/295 रखा गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्से में खसरा संख्या 2383/295 रखा गया मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त परिशिष्ठ 'अ' में क्रमशः लाल व हरे रंग से बताये अनुसार है लेकिन राजस्व नक्शा में तरमीम करते समय परिशिष्ठ 'ब' में क्रमशः लाला व हरे रंग से कर दी गई जो गलत है। उक्त गलत तरमीम के कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम करनपुरा पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के राजस्व नक्शा नम्बर 295 (मूल) विभक्त खसरा संख्या 2384/295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2383/295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि की तरमीम वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:20:01 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण ईकतरफा।

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक भू.अ./2022/04 दिनांक 20.06.2022 एवं उसके

संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी, सहमति विभाजन एवं नक्षों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों से प्रमाणित है कि मौके पर कब्जा काश्त एवं लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता है, सहमति विभाजन अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही की गई है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम करनपुरा पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के राजस्व नक्शा नम्बर 295 (मूल) विभक्त खसरा संख्या 2384 / 295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2383 / 295 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में दर्शाये बरंग लाल तथा बरंग हरा अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:20:01 IST
Reason: SelfAttested